

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of . प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 03/2018

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
प्रशासन भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused

1. रामनरेश उर्फ रामू पुत्र रामप्रकाश शर्मा उम्र 34 वर्ष
 2. गोविन्द रावत पुत्र राकेश रावत उम्र 31 वर्ष
 3. दयाराम पुत्र दशरथ उम्र 35 वर्ष
 4. विजय उर्फ गोपी पुत्र कालका प्रसाद शर्मा उम्र 34 वर्ष
 5. सूरज पुत्र रमेश जाटव उम्र 22 वर्ष
- निवासीगण ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 09.01.18 को 19:00 बजे से 19:20 बजे के मध्य कालका प्रसाद शर्मा का
खलियान ग्राम बिरखडी पर ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।
तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध
किया। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

.....
The plea of the accused and his examination [if any]--
आरोपी का अभिवाक्--

.....
The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e),
clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of
the property in respect of which the offence has been committed

// निर्णय //

(आज दिनांक 10/01/18 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत रुपये 100-100/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05-05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गडडी नष्ट की जावे एवं रुपये 630/-रुपये राजसात किये जाते है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान-गोहद

दिनांक- 10/01/18

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही/-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड